an>

Title: Need to provide toll free number to farmers for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana -laid.

श्री देवजी पटेल (जालौर): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा फसलों का बीमा किया जाता हैं परन्तु किसानों को समान्यत: यह पता नहीं होता कि उनकी फसल का बीमा करने वाली कंपनी का टोल फ्री नं. क्या है । बीमा कंपनियो का टोल फ्री नं. दस अंको का और अलग अलग कंपनियो का अलग अलग होता है । जिससे किसानों को याद रख पाना मुश्किल होता है । फसल के नुकसान पर किसान को 72 घंटों के अंदर टोल फ्री नं. पर रिपोर्ट करना होता है । फसल के नुकसान के समय यह टोल फ्री नं. लगातार व्यस्त रहता है । कंपनियों द्वारा जारी टोल फ्री नं. पर अक्सर फोन नहीं लगता जिससे किसान अपने नुकसान की सूचना नहीं दे पाता है ।

अत: बीमा कंपनियों का टोल फ्री नं. अखिल भारतीय तीन या चार अंकों का करने से किसानों को सुविधा होगी ।